

कार्यालय, अनुमण्डल पदाधिकारी, बिहारशरीफ (नालन्दा)

अल्पकालीन निविदा सूचना

बिहारशरीफ अनुमण्डल अन्तर्गत श्रम कल्याण केन्द्र, बिहारशरीफ का मैदान में केवल दुर्गापूजा-2019 के अवसर पर खेल तमाशा/झुला लगाने के लिये त्रिसदस्यीय कमिटी के देख-रेख में खुले डाक से दैनिक किराया पर आरक्षित करने हेतु निम्न कार्यक्रमानुसार तिथि निर्धारित किया जाता है।

क्र0	मैदान का नाम	सुरक्षित राशि	डाक हेतु निर्धारित समय एवं तिथि		डाक का स्थान
1	2	3	4	5	6
1	श्रम कल्याण केन्द्र, बिहारशरीफ का मैदान	18000/- (अठारह हजार) रूपया एक दिन के लिए	दिनांक-27.09.19, 30.09.19 एवं 03.10.19 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में	पहली निर्धारित तिथि को डाक नहीं होने की स्थिति में दूसरी निर्धारित तिथि को एवं दूसरी तिथि को डाक नहीं होने की स्थिति में तीसरी तिथि को डाक करायी जायेगी।	अनुमण्डल पदाधिकारी, बिहारशरीफ के कार्यालय कक्ष

डाकवक्ता को निम्नांकित शर्तों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।

1. डाक में उपस्थित होनेवाले व्यक्ति/प्राधिकृत व्यक्ति को हाल का बना आचरण/चरित्र प्रमाण-पत्र मूल में पेश करते हुये उसकी छायाप्रति जमा करना होगा।
2. डाक में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति को 25000:00 (पच्चीस हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट जो श्रमाधीक्षक, नालन्दा के पदनाम से होगा, जो डाक बोलने के पूर्व जमा करना होगा। असफल डाकवक्ता को बैंक ड्राफ्ट वापस कर दिया जायेगा।
3. डाक की न्यूनतम अवधि दस दिन एवं अधिकतम अवधि एक माह की होगी। इससे ज्यादा की अवधि हेतु अवधि विस्तार के बिन्दु पर गठित कमिटी द्वारा निर्णय लिया जायेगा।
4. सफल डाकवक्ता को तुरंत डाक की सम्पूर्ण राशि (डाक अवधि के अनुसार) श्रमाधीक्षक, नालन्दा के कार्यालय में जमा कर नाजिर रसीद/प्राप्ति रसीद की मूल प्रति अनुमण्डल पदाधिकारी, बिहारशरीफ के कार्यालय में जमा करना होगा। साथ ही डाक के समय दिये गये बैंक ड्राफ्ट की राशि मो0 25000/- भी श्रमाधीक्षक, नालन्दा के कार्यालय में जमा कर उसकी प्राप्ति रसीद उपलब्ध कराना होगा तत्पश्चात् बैंक ड्राफ्ट वापस कर दिया जायेगा। तदोपरान्त एकरारनामा किया जायेगा।
5. सफल डाकवक्ता द्वारा डाक की तिथि के तीन दिनों के अन्दर एकरारनामा का कागजात तैयार कराकर उसका निबंधन एवं स्टाम्प शुल्क संबंधित शीर्ष में डाकवक्ता को स्वयं जमा कर उसकी मूल प्रति कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा, जो डाक की राशि के अतिरिक्त होगा।
6. निर्धारित तिथि तक यदि निबंधन एवं स्टाम्प शुल्क की राशि जमा नहीं किया जाता है तो वैसी परिस्थिति में अधोहस्ताक्षरी के निर्णय लेने का अधिकार सुरक्षित होगा।
7. डाकवक्ता को उक्त मैदान की साफ-सफाई की पूर्ण व्यवस्था करनी होगी तथा मैदान के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
8. गठित कमिटी को किसी भी डाक को कभी भी बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
9. किसी भी प्रकार का सरकारी आयोजन की तिथि निर्धारित होने पर सूचना प्राप्ति के तुरंत बाद मैदान खाली करना होगा।

10. दुर्गापूजा-2019 के अवसर पर श्रम कल्याण केन्द्र, बिहारशरीफ का मैदान आरक्षित करने हेतु पूर्व में अनुमण्डल कार्यालय, बिहारशरीफ में जिन आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र जमा किया गया है वह भी डाक में भाग ले सकते हैं। उनके द्वारा पूर्व में जमा किये गये आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
11. डाक में भाग लेने हेतु डाकवक्ता स्वयं या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति प्राधिकृत पत्र के साथ उपस्थित रहेंगे। किन्तु डाकवक्ता एवं प्राधिकृत व्यक्ति दोनों का हाल का बना हुआ आचरण/चरित्र प्रमाण-पत्र मूल में पेश करते हुये उसकी छायाप्रति जमा करना होगा।
12. भविष्य में मेला अवधि के दौरान निर्मित अस्थायी संरचना एवं मनोरंजन हेतु लगाये गये टॉवर झुला, ब्रेक डांस इत्यादि पर भवन निर्माण विभाग, विद्युत विभाग, अग्निशमन विभाग, नगर निगम अथवा संबंधित अन्य विभाग द्वारा तकनीकी बिन्दु पर यदि आपत्ति व्यक्त करते हैं तो ससमय आपत्ति के निराकरण की पूर्ण जवाबदेही डाकवक्ता की होगी। साथ ही सभी संबंधित विभाग के द्वारा निरूपित शर्तों का शत-प्रतिशत अनुपालन करना होगा।
13. निविदाकर्ता का फर्म सरकारी विभाग से निबंधित होना चाहिए।
14. निविदाकर्ता का फर्म के नाम से GST नं0 आवंटित होना चाहिए।
15. विशेष जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय (नजारत शाखा) में सम्पर्क किया जा सकता है।

४४

अनुमण्डल पदाधिकारी,
बिहारशरीफ

ज्ञापांक-.....183...../नजा0, दिनांक-...17-9-19.....

- प्रतिलिपि:- सभी अंचल अधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी थानाध्यक्ष, बिहारशरीफ अनुमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रचारार्थ सूचना पट्ट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- नगर प्रबंधक, नगर निगम, बिहारशरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रचारार्थ सूचना पट्ट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- अवर निबंधक, बिहारशरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रचारार्थ सूचना पट्ट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बिहारशरीफ/पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय/विधि-व्यवस्था को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रचारार्थ सूचना पट्ट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, नालन्दा/राष्ट्रीय सूचना एवं विज्ञान केन्द्र, नालन्दा को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि जिले के वेबसाईट पर एवं सभी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित/अपलोड कराने की कृपा की जाय।
- प्रतिलिपि:- उप. विकास आयुक्त, नालन्दा/अपर समाहर्ता, नालन्दा/असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नालन्दा को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, नालन्दा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

अनुमण्डल पदाधिकारी,
बिहारशरीफ